

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प

764

22-11-21

—:आदेश:—

173/21

22/11/21

20/11/20

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवोदी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की रिपोर्ट की आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम जेठपुरा तहसील व जिला में खता संख्या 48 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	जेठपुरा	48	गोहीदेवी पति गुल्लारस	गोहीदेवी पति गुल्लारस शेठ जगत लाल उत्तम जमा-51

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर

क्रमांक :- 765-66

दिनांक :- 22/11/21

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला